सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 4756 / 1022 / 2015 दिनांकः– 12 .05.2017

के मामले में:

श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी,
39, कूंचा शील चन्द्र, R974
रेलवे रोड, इटावा,
उत्तर प्रदेश–206001 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष,
पूर्वांचल बैंक, R975
प्रधान कार्यालय,मोहद्दीपुर,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 23.11.2016

उपस्थितः
1. श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री रमेश प्रसाद सिंह, गौरव कुमार सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.06.2015 को निरस्त करवाने से संबंधित शिकायत दिनांक 07.07.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनका स्थानान्तरण उनके निवास–स्थल से 40 किलोमीटर दूर कर दिया गया है जहां पर उन्हें अपने दैनिक कार्यों तथा बैंक सेवा निर्वहन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा । उनका निवेदन है कि उनके वर्तमान शाखा कुनैरा, इटावा पर पुनः पदस्थापित किया जाए तथा उनके स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.06.2015 को निरस्त किया जाए ताकि वे सेवा से मुक्त होने में मात्र शेष 3 वर्षों को सुविधाजनक रूप में व्यतीत कर सकें ।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 27.07.2015 के द्वारा उठाया गया तथा एक स्मरण पत्र दिनांक 07.10.2015 को जारी किया गया।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 25.02.2016 द्वारा सूचित किया है कि शिकायतकर्ता का स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण है । उनको क्रमशः फफूंद एवं कुनैरा शाखा, जनपद–इटावा पर कार्यालय सहायक के रूप मे अपने कार्यकाल के दौरान की गई गंभीर अनियमितताओं के प्रकाश में आने पर सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 19.11.2013 एवं 29.06.2015 तत्क्रम में संशोधन दण्डादेश पत्र दिनांक 06.08.2015 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंडित किया गया है । प्रतिवादी ने यह भी सूचित किया है कि शिकायतकर्ता ने अपने स्थानान्तरण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकि संख्या 64160/2015 दाखिल की थी । माननीय न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करते हुए निर्गत आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं 02.12.2015 का परिपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया है ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 05.12.2015 और 06.09.2016 द्वारा अन्यों के साथ सूचित किया है कि प्रार्थी को कथित अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर न तो पूर्व में कभी स्थानान्तरित किया गया है और न ही प्रश्नगत उत्पीडक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.06.2015 में अंकित किसी भी प्रस्तर के तथ्यों के आलोक में कहीं भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी स्थान पर/किसी भी पैरा में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता का उत्पीडक स्थानान्तरण दिनांक 29.06.2015 कथित अनुशासनात्क कार्यवाही के प्रतिफल/दण्ड के रूप में किया जा रहा है । शिकायतकर्ता ने इस न्यायालय से प्रार्थना की कि शिकायतकर्ता की शिकायत का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यिालय ज्ञापन दिनांक 10.05.1990 में अंकित आदेशात्मक प्रावधानों के आलोक में भी अन्तिम रूप से निस्तारण कर आदेश प्रारित करने की कृपा करें । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के संदर्भित आदेश दिनांक 02.10.2015 का सम्मान कर, संज्ञान लेते हुए यथा–शीघ्र अधिकतम चार सप्ताह की समयावधि में प्रार्थी के इस अभ्यावेदन पर विधि अनुसार विचारण कर आदेश पारित करने की कृपा करें । सहानुभूति एवं दयापूर्ण विचार के उपरान्त, पारित उत्पीडक स्थानान्तण आदेश दिनांक 29.06.2015

को निरस्त एवं संशोधित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत उत्पीडक स्थानान्तरण से संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थी जीवनपर्यन्त अनुगृहित एवं आभारी रहेगा ।

6. प्रतिवादी के पत्र संख्या 2015–16/कार्मिक/5172 दिनांक 25.02.2016 एवं शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 06.09.2016 के मद्देनजर मामले की सुनवाई दिनांक 23.11.2016 को निर्धारित की गई ।

7. दिनांक 23.11.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता न अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 31.03.2014 में उल्लेखित आदेशात्मक प्रावधानों, विधि अनुसार अनुमन्य संरक्षण, निर्देशों के तथ्यों का अनुपालन व सम्मान करते हुए शिकायतकर्ता विकलांग कर्मचारी के स्थानान्तरण पर यथा––शीघ्र पुनर्विचारण कर बैंक की शाखा कर्री–बीना हेतु प्रभावी स्थानान्तरण को तत्काल प्रभाव से शून्य व अप्रभावी घोषित करते हुए शिकायतकर्ता को वर्तमान पदस्थी स्थल शाखा कुनैरा पर ही यथावत पदस्थ रखने अथवा विकल्वप के रूप में इटावा शहर में स्थित बैंक की मुख्य शाखा, इटावा, शाखा आनन्दनगर या क्षेत्रीय कार्यालय इटावा पर स्थान्तररित किए जाने के संशोधित आदेश प्रतिवादी को जारी करने की कृपा करें ।

8. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता ने इस न्यायालय में शिकायत फाइल करने से पहले इसी शिकायत के संबंध मे अर्थात अपने निवास–स्थान के समीप स्थानान्तरण करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील फाइल की थी, जिसका निपटारा करते हुए माननीय न्यायालय ने शिकायतकर्ता को आदेश दिया था कि प्रथमतः वह बैंक की उस शाखा में पदग्रहण करें जहां उसका स्थानान्तरण किया गया था । तत्पश्चात् बैंक उसके आवेदन को अभ्यावेदन के रूप में स्वीकार कर उसका निपटारा चार सप्ताह के अन्दर करे । प्रतिवादी ने आगे निवेदन किया कि चूंकि इस न्यायालय में फाइल की गई शिकायत जैसी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष फाइल की गई है, जोकि न्यायालय के समक्ष

शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई अवमानना याचकिा में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 26.02.2017 को नियत थी।

9. पक्षकारों को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि चूंकि शिकायतकर्ता ने न्याय पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपना मामला पहले से ही फाइल कर रखा है, इसलिए यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं है और मामला खारिज किया जाता है ।

10. मामला तद्नुसार खारिज किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन